सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 4075/2015

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. समोदरा पुत्री बालू जाति जाट
2. गीता पुत्री बालू जाति जाट

निवासीगण उगाई तहसील केकडी जिला अजमेर राज.

वादीगण

बनाम

1. रामराय पुत्र बालू जाति जाट निवासी उगाई तहसील केकडी जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

2. गोरधन पुत्र बालू जाति जाट
3. सत्यनारायण पुत्र बालू जाति जाट
4. धर्मराज पुत्र बालू जाति जाट
5. भागचन्द पुत्र बालू जाति जाट

   समस्त निवासीगण उगाई तहसील केकडी जिला अजमेर
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर

प्रफोर्मा प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–21.06.2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प सरसड़ी में पेश हुई। वादीगण/प्रतिवादीगण उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम उगाई तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2068–71 के खाता स. 156 में दर्ज खसरा नम्बर 365, 366, 370, 401, 402, 403, 460, 461, 462, 797, 797/1145, 884, 886, 888 कुल किता 14 कुल रकबा 6.79 है. एवं खाता स. 158 में दर्ज खसरा नम्बर 364, 404 ,406, 407, 795, 796, 885 कुल किता 8 कुल रकबा 4.07 हैक्ट. भूमि वादीगण, प्रतिवादीगण 1 तथा प्रफोर्मा प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 5 की संयुक्त खातेदारी कब्जे, काश्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजीयात है। उक्त आराजीयात में वादीया स. 1 का 1/7 हिस्सा व वादीया स. 2 का 1/7 हिस्सा तथा प्रफॉर्मा प्रतिवादीगण स. 1 लगायत 5 का 5/7 हिस्सा सयुक्त रूप से व प्रत्येक का 1/7 रिकॉर्डेड खातेदार है एव इसी अनुसार काबिज है। प्रतिवादी स. 1 वादी के अपने हिस्से की आराजीयात से बेदखल करने पर आमादा है, एवं कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करते है। वादीगण अपना अलग अलग खाता अमल दर्ज करवाना चाहती है। वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जावे।

हमने वादीगण का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी 2 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्वार्थ सिंह ने पावर पेश किया । प्रतिवादी स. 1 की जर्ये रजिस्टर्ड एडी तलबी की गयी।

पत्रावली आज केम्प कोर्ट सरसडी में पेश हुयी। वादीगण/प्रतिवादीगण उपस्थित। हमने पत्रावली व दस्तावेजों का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारान को सुना। वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात होने से वाद का संतुलन वादीगण के पक्ष में है तथा वादीगण का वाद प्रेमाफेसाई केस होना जाहिर होता है।

अतः वादीगण का दावा वाके ***ग्राम उगाई तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2068–71 के खाता स. 156 में दर्ज खसरा नम्बर 365, 366, 370, 401, 402, 403, 460, 461, 462, 797, 797/1145, 884, 886, 888 कुल किता 14 कुल रकबा 6.79 है. एवं खाता स. 158 में दर्ज खसरा नम्बर 364, 404 ,406, 407, 795, 796, 885 कुल किता 8 कुल रकबा 4.07 हैक्ट.*** भूमि का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से एवं मौके अनुसार का बंटवारा किये जाने हेतु स्वीकार कर वादीगण का दावा डिक्री किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी का का बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा, ट्रेस के तैयार कर न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी